<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>डी.आर. मेघवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)<br>सू.अ.अपील संख्या 176/2023</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>28.08.23</td><td>अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम निवासी ग्राम सरेचां, बस स्टेण्ड के पास, पोस्ट लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2023 में (1) ग्राम पंचायत सरेचां में आयोजित प्रशासन गांवों के संग कैम्प दिनांक 03.12.2021 को लेकर कार्यालय तहसील लूणी द्वारा किए गए कार्यों, कार्यवाहियों का ब्यौरा, रजिस्टर का अवलोकन, सम्पूर्ण चयनित पत्रावली, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(हिमान्शु गुप्ता)<br>जिला कलक्टर जोधपुर<br>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>